न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल0आर0 एक्ट संख्या :-14/2019/जिला टोंक

1. ढाबा का देवरा मूर्ति देवनारायण जरिये पुजारी हीरालाल पुत्र नन्दलाल जाति जाट निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा

2. सिन्दरी का बालाजी मूर्ति हनुमान जी जरिये पुजारी गोपाललाल पुत्र लादूराम जाति पारीक ब्राहमण निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा।

--अपीलांटस

बनाम

1. कामधेनु मंदिर समिति जरिये अध्यक्ष/सचिव सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

——रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विदवान उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा दिनांक 06.02.2019 प्रकरण संख्या 373/2017 में पारित किया गया।

उपस्थित अभि0:–श्री एम0एल0गुर्जर(अपीलांट अभि0)
श्री विशाल शर्मा (रेस्पो0 अभि0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

निर्णय

दिनांकः–30.12.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा के खसरा नम्बर 2019/1 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा ,खसरा नम्बर 2022/1 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा रेस्पो0 नम्बर 1 कामधेनु मंदिर समिति की खातेदारी में दर्ज है। रेस्पो0 1 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के न्यायालय में धारा 111 व 128 एल0आर0एक्ट के तहत एक प्रार्थना पत्र दर्ज करवाकर पत्थरगढ़ी हेतु निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद(373/2007) उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 06.02.2019 को प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए पत्थरगढ़ी बाबत आदेश प्रदान किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर निम्न आधारों पर वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है–

1. रेस्पो0 1 द्वारा पड़ौसी खातेदारों को पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया तथा तथ्य छिपाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्राप्त किया है। भूमि विवादित होकर अन्य मंदिर सिंदरी के बालाजी इसी भूमि पर बने हुए है। साथ ही विभिन्न जाति समाज की धर्मशालायें भी बनी हुई है तथा रेस्पो0 1 के द्वारा तथ्य छिपाकर भूमि को प्राप्त किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:17:59 IST
Reason: SelfAttested

2. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष सुनवाई के दौरान अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब भी दिया गया। मगर उपखण्ड अधिकारी द्वारा हमारे प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया।

3. मौकापर्चा दिनांक 28.04.2016 का विवेचन किये बिना आदेश पारित किया गया।

4. रेस्पो0 1 को आवंटीत भूमि के निरस्तीकरण हेतु विचाराधीन प्रकरण में निर्णय शेष है ऐसी स्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश नहीं दिये जा सकते है।

5. रेस्पो0 1 के नाम पर दर्ज भूमि खसरा नम्बर 2021 सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित होकर गैर मुमकिन स्थान के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि में सिंदरी के बालाजी मंदिर स्थित है तथा आवश्यक पक्षकारों के अभाव व भूमि आवंटन को निरस्त कराने से संबंधित अपील विचाराधीन आदेश पारित किया गया। जो उचित नहीं है। अपील स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 06.02.2019 को निरस्त किया जायें।

उक्त अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 96 का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र तथा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये।

रेस्पो0 के उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय बहस सुनी गई,

बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 1 द्वारा सिर्फ राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया। मौका रिपोर्ट दिनांक 28.04.2016 का विवेचन नहीं किया गया है। उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाना धार्मिक भावनाओं की वजह से संभव नहीं होना बताया है तथा यह भी बताया गया है कि खसरा 2021 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा गैर मुमकीन स्थान में सिंदरी के बालाजी का मंदिर एवं धर्मशालाऐ बनी हुई है। धर्मशाला के अन्दर नहर निकली हुई है। सैट–ए–पार्ट के विरूद्ध अपील विचाराधीन है। जिसमें दिनांक 25.04.2022 निहित है। धारा 96 सीपीसी की परमिशन ली गई है।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार रेस्पो0 संख्या 1 ने दिनांक 25.05.2019 को यह धमकी दी कि वे पत्थरगढ़ी के आदेश दिनांक 06.02.2019 की पालना में पत्थरगढ़ी करवायेगा। तब प्रार्थीगण को जानकारी हुई। उसके बाद दिनांक 26.05.2019 को न्यायालय जाकर जानकारी प्राप्त की। दिनांक 27.05.2019 को नकल हेतु आवेदन पत्र दिया तथा दिनांक 28.05.2019 को प्रमाणित नकल प्राप्त हुई। इसके बाद शीघ्र अपील प्रस्तुत की गई। विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने हुई देरी को क्षमा किया जायें। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दिनांक 04.06.2019 को न्यायालय हाजा में उक्त अपील प्राप्त होना अंकित की जाती है। जानकारी दिनांक से अपीलांट द्वारा शीघ्र अपील प्रस्तुत कर दी गई थी, ऐसी अवस्था में अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाना है तथा अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:17:59 IST
Reason: SelfAttested

अन्य प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का अवलोकन किया गया। अपीलांट खसरा नम्बर 2021 से जुड़े हुए है। जिसका उल्लेख दिनांक 28.04.2016 में भी पाया जाता है तथा विवादित खसरा नम्बर 2022/1 से यह खसरा नम्बर जुड़ा हुआ है। ऐसी अवस्था में अपीलांट को एग्रीवड परशन की श्रेणी में माना जा सकता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। खसरा नम्बर 2021 सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित होकर गैरमुमकीन स्थान के रूप में दर्ज है। जहां सिंदरी के बालाजी मंदिर व अन्य संरचनाऐं स्थित है। मगर अपीलाधीन आदेश में उन्हें एग्रीवड प्रसन होते हुए भी पक्षकार नहीं बनाया गया तथा ऐसा आदेश दिया जिसकी पालना नहीं करवायी जा सकती है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति का बिन्दु निहित है। अतः अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति को स्थगित रखा जायें। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि खसरा नम्बर 2021, खसरा नम्बर 2022/1 से घिरा हुआ खसरा नम्बर है तथा अपीलाधीन आदेश में इन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। मौके पर विवाद है। जिसकी पुष्टि मौका रिपोर्ट दिनांक 28.04.2016 से होती है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है और अपूरणीय क्षति का बिन्दु एवं सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में दिखाई पड़ता है। स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2069–72 वास्तविक संवत 2069 ग्राम सांगानेर के खाता नया 1113 के अनुसार उक्त भूमि कामधेनु मंदिर समिति सांगानेर को 10 वर्ष की लीज पर दी गई है तथा उक्त खाता में खसरा नम्बर 2019/1 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 2022/1 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा कुल क्षेत्रफल 8 बीघा 15 बिस्वा अंकित है। अन्य खसरा नम्बर 2021 खाता नम्बर 1 में दर्ज होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित अंकित है। रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा तथा किस्म गैर मुमकीन स्थान दर्ज है। नक्शाट्रेश ग्राम सांगानेर जारी दिनांक 16.08.2017 के अनुसार खसरा नम्बर 2022/1, खसरा नम्बर 2021 को घेरे हुए खसरा नम्बर, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के पैरा 2 में निम्नानुसार अंकन किया हुआ है ''यह है कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित प्रार्थी के खातेदारी की आराजीयात के पड़ौस में आराजी संख्या 2021 सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित गैर मुमकीन स्थान स्थित है। जहां सिंदरी के बालाजी मंदिर स्थित है। उसके संबंध में प्रार्थी की खातेदारी भूमि के संबंध में सीमा चिन्ह बाबत आये दिन सीमा संबंधी विवाद होता रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी आराजीयात का समुच्चित [illegible] का नहीं करवा पाया।

उक्त प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर [illegible] में [illegible] अंकन किया हुआ है ''यह है कि प्रार्थी ने दिनांक 28.04.2016 को सीमाज्ञान करवा[illegible] लेकिन फिर भी मौके पर विवाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 16:17:59 IST
Reason: SelfAttested

बना रहा।'' इस कारण प्रार्थी को उसकी आराजीयात की पत्थरगढ़ी करवाने बाबत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की नौबत आयी।

उक्त प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 4 मे यह अंकित किया है कि प्रार्थी का बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 28.04.2016 से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है।

स्पष्ट है कि मौके पर विवाद की स्थिति बनी हुई है तथा इसके लिये जो आवश्यक पक्षकार थे उन्हें उपखण्ड अधिकारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपीलाधीन प्रार्थना पत्र में पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया था। साथ ही अपीलांट पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जिसमें वह पक्षकार बनना चाह रहा था उसे भी खारिज कर दिया गया। प्रार्थना पत्र में विवाद का कारण दिनांक 28.04.2016 के मौकापर्चा को माना गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 1 के द्वारा इसे ही काज ऑफ रिएक्शन माना गया था। फिर भी आश्चर्य की बात है कि प्रार्थना पत्र निस्तारण में उक्त मौकापर्चा का कोई उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं किया गया।

न्यायालय का यह मानना है कि आवश्यक पक्षकारों का संयोजन किये बिना तथा बोन ऑफ कन्टेन्शन का विवेचन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया ,जो खारिज योग्य है।

कियात्मक आदेश

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.02.2019 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट प्रकरण संख्या 373/2017 उनवानी कामधेनु मंदिर समिति जरिये अध्यक्ष बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा को अपास्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 30.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:17:59 IST
Reason: SelfAttested